e-Copy
3252
03-08-23

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्रमांक D/3265 / जबलपुर, दिनाँक 03 अगस्त, 2023
{तीन–18–180/75 (गाईड लाईन)}

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
राज्य के समस्त (म.प्र.)

प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
राज्य के समस्त (म.प्र.)

8086
03-08-23

विषय :– राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों तथा कुटुम्ब न्यायालयों में पदस्थ तृतीय श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में।

संदर्भ :– रजिस्ट्री पत्र क्रमांक सी/1561/तीन–18–180/75 (गाईड लाईन), दिनाँक 11.4.2022.

उपरोक्त विषय में लेख है कि राज्य की न्यायिक जिला स्थापनाओं पर पदस्थ तृतीय श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य, समुचित चिकित्सा व्यवस्था अथवा दिव्यांगता के आधार पर प्रस्तुत स्थानांतरण अभ्यावेदन के साथ चिकित्सा संबंधी प्रपत्र संलग्न किये जाते है, उक्त चिकित्सीय प्रपत्रों का रजिस्ट्री स्तर पर परीक्षण किया जाना संभव नहीं होता है।

यथानिर्देश, यह सुनिश्चित् करें कि स्थापना पर पदस्थ तृतीय श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण अभ्यावेदन के साथ संलग्न चिकित्सा संबंधी प्रपत्रों के अतिरिक्त इस आशय का सक्षम चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न हो कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी किस रोग या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से पीड़ित है तथा स्थानीय स्तर पर उनका उपचार संभव है या नहीं ?

3.8.23

{संतोष प्रसाद शुक्ला}
रजिस्ट्रार (डी.ई.)